-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 06.12.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **अवैध खनन एवं परिवहन में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध बांदा पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही के क्रम में लोकेशन देकर अवैध खनिज से लदे ट्रकों को पार कराने का दबाव बनाने और पुलिसकर्मी से अभद्रता और हाथापाई करने वाले अभियुक्त को अतर्रा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार । अभियुक्त स्वयं को कथित पत्रकार बताकर अधिकारियों की लोकेशन देकर अवैध खनिज से लदे ट्रकों को कराता था पार ।**

विवरण- उ0प्र0 शासन मां0 मुख्यमंत्री श्री योगी की जीरो टॉलरेन्स की नीति के क्रम में जनपद में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अवैध खनन और परिवहन में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है, इसी क्रम में आज दिनांक 06.12.2025 को अवैध ट्रकों को पार कराने का दबाव बनाते हुए पुलिसकर्मी से अभद्रता और हाथापाई करने वाले अभियुक्त को थाना अतर्रा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया । गौरतलब हो कि अभियुक्त आलोक गर्ग नि0 कस्बा अतर्रा जनपद बांदा अवैध खनन पर कार्यवाही करने वाली टीम की लोकेशन देकर अवैध मोरम और गिट्टी के ट्रकों को पार कराया जाता था । दिनांक 05.12.2025 को अभियुक्त द्वारा कस्बा अतर्रा नो एंट्री पर अवैध मोरम एवं गिट्टी से लदे ट्रकों को पार कराने का दबाव बनाते हुए वहां तैनात पुलिसकर्मी से हाथापाई और अभद्रता की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई । इस संबंध में थाना अतर्रा पर अभियोग पंजीकृत करते हुए आज दिनांक 06.12.2025 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया । बांदा पुलिस द्वारा संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर अवैध खनन एवं परिवहन में संलिप्त अभियुक्तों पर निरन्तर कार्यवाही की जा रही है, जो भी अवैध खनन एवं परिवहन में संलिप्त होंगे या जो भी व्यक्ति वैध खनन एवं परिवहन में व्यवधान उत्पन्न करेंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- आलोक गर्ग नि0 कस्बा अतर्रा जनपद बांदा ।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 439/25 धारा 115(2)/352/351(3)/121(1)/132/309(6)/324(4) बीएनएस थाना अतर्रा जनपद बांदा ।